

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1972/फाल्गुन 11, 1893

No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1972/PHALGUNA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 1st March 1972

SUBJECT:—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1971—
March 1972. (Amendment No. 65.)

No. 35-ITC(PN)72.—Attention is invited to the Import policy for registered exporters contained in the Import Trade Control Policy Book Vol. II for the period April 1971—March 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71 dated 30th April, 1971.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book Vol. II	Reference	Amendments
157-158	B.31.1. Col. 4	The existing entries may be corrected to read as under:— “(j) Cellosolve; (k) Butyl Cellosolves. (m) Coumarene Indene Resin. (o) Epoxy Resins (25%).”

3. The following items are classifiable under the product groups mentioned below and fall under the respective serial shown against each:—

A. Engineering Goods

- | | |
|---|---------|
| 1. Distances pieces | A.15 |
| 2. Base plate | A.15 |
| 3. Fish plate | A.15 |
| 4. PVC cables with copper conductors of 1000 v rating | A.75.5 |
| 5. Forged carbon steel type levers | A.III.1 |
| 6. Mason and carpenter square made of carbon steel | A.III.1 |
| 7. Tommy bars | A.III.9 |
| 8. Rope and ban making machine (Power driven) | A.129.1 |
| 9. Bicycle chains in CKD condition | A.152.2 |

B. Chemicals and Allied Products :

- | | |
|---|---------|
| 1. Talc powder—scented and packed in retail packing | B.27.11 |
| 2. Swimming caps (rubber) | B.62.1 |
| 3. Toilet paper rolls | B.67.1 |
| 4. Diaries and calenders (with or without plastic covers) | B.69.4 |

E. Sports Goods

- | | |
|---|----------|
| 1. Elastic elbow caps. | } E.I.1. |
| 2. Fives gloves. | |
| 3. Lacrosse gloves and gent-lets. | |
| 4. Net balls without bladders. | |
| 5. Billiard nets | |
| 6. Hockey gollie masks—(steel wire coupled with leather and pad). | } E.I.4 |
| 7. Foot-ball leather panels. | |
| 8. Tennis and badminton strings including nylon strings (gut). | |
| 9. Net balls fitted with bladders (valve bladders) | |
| 10. - Punching balls fitted with bladders. | |

4. The items mentioned in para 3 above may be inserted alphabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the relevant product groups.

5. The entry “Tool kits.....A. 105.1” appearing on page 1 of the Index may be deleted.

अर्थशास्त्र विभाग

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 मार्च 1972

विषय.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 65).

संख्या 35-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबुक) के भा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जायें :—

रैडबुक (भा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
--------------------------------	--------	--------

1

2

3

157-158

बी. 31. 1

कालम-4

वर्तमान प्रविष्टि को शुद्ध कर इस प्रकार पढ़ा जाय :—

“(जे) सेलोसाल्क्स

(के) व्युटिल सेलोसाल्क्स

(एम) कोमेरिन इन्डेन रेजिन

(ओ) एक्सपाक्सी रेजिन (25 प्रतिशत)।”

3. निम्नलिखित मर्चे नीचे उल्लिखित उत्पाद वर्गों के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं और प्रत्येक के सामने प्रदर्शित तत्समग्रही क्रम संख्या के अन्तर्गत आती हैं :—

ए. अभियांत्रिक माल

1. डिस्टेन्स मीसेज	रु. 15
2. बेस प्लेट	रु. 15
3. फिश प्लेट	रु. 15
4. 1000 बी रेटिंग के पीतल चालकों के साथ पोथोसी केबुल	रु. 75.5

5. नकली कार्बन स्टील टाइप लीवर्स ए. 111. 1
6. कार्बन स्टील की बनी मिस्त्री और बढई के लिए चौको टुकड़ा. ए. 111. 1
7. टामी बार्स 111. 9
8. रस्सी और बान तैयार करने वाली मशीन
(बिजली से चलने वाली) ए. 129. 1
9. सीकेडी की स्थिति में बाइसाइकल चैन ए. 152. 2

बी. रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद

1. टैल्क पाउडर—मुगधित तथा खुर्दरा पोदली में बंधा हुआ बी. 27. 11.
2. तैरने के लिए टोपी (रबड़) बी. 62.
3. टायलेट कागज रोलस बी. 67. 1
4. बायरी और कैनेडर (प्लास्टिक आवरण के साथ
या बिना आवरण के) बी. 69. 4

ई. खेल के सामग्री

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. एल.सस्टिक एल्बो कैप्स | } | ई 1. 1 |
| 2. फाइव्स ग्लोब्स | | |
| 3. लैक्रोस ग्लोब्स तथा जेन्ट-लैट्स | | |
| 4. बिना ब्लैडर क नेट बाल | | |
| 5. बिलियार्ड नटें | | |
| 6. हाकी गोली मास्कस (चपड़े और पैड के साथ युग्मित स्टील बायर) | | |
| 7. फुटबाल लेदर पैनेल्स | | |
| 8. टेनिस तथा बैडमिंटन स्ट्रिंग्स जिसमें नाइलोन स्ट्रिंग्स (गट) शामिल हैं। | | |
| 9. ब्लैडर के साथ फिट किए हुए नेट बाल (वाल्व) | | |
| 10. ब्लैडर के साथ फिट किए हुए पंचिंग बाल्स. | | |

4. ऊपर की कंडिका 3 में उल्लिखित मदों को उपर्युक्त रेडबुक के सूचक में संबंधित उत्पाद वर्गों के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर वर्णक्रम अनुसार रखा जाए।

5. सूचक के पृष्ठ 50 पर दिखाई गई प्रविष्टि "टुल किट्स ए. 106. 1" को हटाया जाए।

SUBJECT:—Import Policy for Registered Exporters for the period April, 71—March 1972 (Amendment No. 66).

No. 36-ITC(PN)72.—Attention is invited to the import policy for registered exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Vol. II for the period April, 71—March, 72, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971.

2. According to paragraph 40(d) (ii) of Part B of Section 1 of Vol. II of the I.T.C. Policy (Red Book) for April, 1971—March, 1972 various items mentioned therein such as stainless steel sheets, strips, circles and plates, milk powder etc. are not allowed under the import policy for Registered Exporters unless these are specifically permitted in any particular case. It has been decided that the existing paragraph 40(d) (ii) referred to above may be substituted by the following:—

“(ii) Stainless steel sheets, strips, circles, plates, bars/rods and stainless steel of all sections as well as stainless steel in any other semi-finished form, milk powder, Man-made fibre and yarn (Cellulose and non-cellulose), Polythelene, PVC Resin and Cellulose Acetate Butyrate Moulding Powder”.

विषय.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 66).

संख्या 36-आई० टी० सी० (पी०एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44-आईटी सी (पी एन)/71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक) के वा० 2 के खंड 1 के भाग बी की कंडिका 40(डी) (2) के अनुसार विभिन्न प्रकार की मर्चे जो उसमें उल्लिखित हैं जैसे जंग विरोधी इस्पात चढ़रें, स्ट्रिप्स, सर्किल और प्लेट, दूध पाउडर आदि की स्वीकृति पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत तब तक नहीं दी जाती जब तक कि किसी विशेष मामले में विशेष रूप से अनुभव नहीं होतो। यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त उल्लिखित वर्तमान कंडिका 40 (डी) (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

“(2) जंगविरोधी इस्पात चढ़रें, स्ट्रिप्स, सर्किल, प्लेट, बार्स/राड तथा सभी सेक्शन के जंगविरोधी इस्पात, मिल्क पाउडर, मनुष्य निर्मित वस्त्र और धागे (मेल्लोज तथा नान सेललोज), पालियैलिन, पी बी सी रेजिन और मेल्लोज एसिटेड युरीथेरेट मोल्डिंग पाउडर।”

SUBJECT.—Import Policy for Registered Exporters for April, 1971—March, 1972 (Amendment No. 67).

No. 37-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Volume II for the period April, 71—March, 72, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971.

2. The existing sub-paragraphs (H)(i)&(ii) of paragraph 36 of Section I of Part E of the above referred Red Book may be substituted by the following entries:—

“(H) Exporters of goods sold at international exhibitions abroad by the Directorate of Exhibitions, Ministry of Foreign Trade:

- (1) Certificate from the Director of Exhibitions, Ministry of Foreign Trade, indicating the full description of the goods, the f.o.b. value, the name of the Indian exporter, date of sale, and certifying that the payment against the sales in question, has been repatriated to India and surrendered to the Indian Exchange Control.”

3. The following may be added as paragraph 38(I):

(I) Exports of goods sold at international exhibitions abroad organised by the Council of Trade Fairs and Exhibitions:—

- (i) Certificate from the Council of Trade Fairs and Exhibitions indicating the full description of the goods, the f.o.b. value, the name of the Indian exporter, date of sale, and certifying that the payment against the sales in question, has been repatriated to India and surrendered to the Indian Exchange Control.
- (ii) Bank Certificate indicating the receipt of payment in foreign exchange. The proforma of the Bank Certificate given in Section III (Annexure X) may be used with suitable modifications. The time limit for submission of an application will be recorded from the date of payment as shown in the Bank Certificate.

3. In view of the above, the existing sub-paragraphs (I) to (M) of paragraph 38 may be re-numbered as (J) to (N).

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 67)।

संख्या 37-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचन संख्या 44-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 30-4-71 के अंतर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति को और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त रेडबुक के भाग ई के खंड 1 की कंडिका 36 को वर्तमान उपकंडिकाएं (एच) (1) तथा (2) निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जायें :—

“(एच) प्रदर्शनी निदेशालय, विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बेचे गए माल के निर्यात :

- (i) माल का पूरा विवरण, जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य, भारतीय निर्यातक का नाम, बिक्री का दिनांक निर्दिष्ट रहे हुए और यह प्रमाणित करते हुए कि विषयाधीन बिक्री बदले भुगतान भारत को वापस भेज दिया गया है और वह भारतीय मूद्रा विनिमय प्राधिकारी को समर्पित कर दिया गया है, प्रदर्शनी निदेशक, विदेश व्यापार मंत्रालय से एक प्रमाणपत्र।”

3. निम्नलिखित को कड़िका 36 (1) के रूप में जोड़ा जाए :—

(I) व्यापार मेले और प्रदर्शनी परिषद् द्वारा विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बेचे गए माल के निर्यात :—

- (i) माल का पूरा विवरण, जहाज पर्यन्त—निशुल्क मूल्य, भारतीय निर्यातक का नाम, बिक्री का दिनांक निर्दिष्ट करते हुए और यह प्रमाणित करते हुए कि विप्याधीन विक्रय के बदले भुगतान भारत को वापिस भेज दिया गया है और वह भारतीय मुद्रा विनिमय प्राधिकारी को समर्पित कर दिया गया है, व्यापार मेले और प्रदर्शनी परिषद् से एक प्रमाणपत्र ।
- (ii) विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति को निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र खंड iii (अनुबंध X) में दिया गया बैंक गारंटी का प्रपत्र उपयुक्त आशोधनों के साथ उपयोग में लाया जा सकता है । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समग्र सीमा, बैंक प्रमाणपत्र में प्रदर्शित की गई भुगतान की तिथि से दर्ज की जाएगी ।]

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कड़िका 36 की वर्तमान उप-कड़िकाएं (आई) से (एम) तक (जे) से (एन) तक पुनः संख्यांकित की जाय ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

